फ़ाइल संख्या: 6-6/2022-छात्रवृत्ति

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, 5वां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

दिनांक : 27/10/2023

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक,

केनरा बैंक, राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन, नई दिल्ली

विषय: विभाग की दिव्यांगजनों लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफपीडब्ल्यूडी) योजनाओं के तहत फेलोशिप राशि में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

यह विभाग दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफपीडब्ल्यूडी) योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत फेलोशिप प्रदान करने संबंधी कार्य (प्रोसेसिंग) और वितरण केनरा बैंक के छात्रवृत्ति फेलोशिप प्रबंधन पोर्टल (एसएफएमपी) के माध्यम से किया जा रहा है।

2. एनएफपीडब्ल्यूडी [12.4 (vi) 12.5] (दिव्यांगजनों के लिए व्यापक (अम्ब्रेला) छात्रवृत्ति योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, फेलोशिप की दरें समय-समय पर जारी यूजीसी फेलोशिप दिशानिर्देशों के सममूल्य होंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने सार्वजनिक नोटिस दिनांक 16.10.2023 के साथ फेलोशिप योजनाओं की संशोधित राशि पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया। संशोधित दरें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	फेलोशिप का नाम	पूर्व-संशोधित फेलोशिप (रु. प्रति माह)	संशोधित फेलोशिप (रु. प्रति माह)
1	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफपीडब्ल्यूडी- विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जेआरएफ और एसआरएफ)	2 वर्ष के लिए रू. 31,000 /प्रतिमाह की दर से जेआरएफ शेष अवधि के लिए रू. 35.000/- प्रति माह की दर से एसआरएफ	2 वर्ष के लिए रू. 37,000 /प्रतिमाह की दर से जेआरएफ शेष अवधि के लिए रू. 42,000/- प्रति माह की दर से एसआरएफ

नोट# फेलोशिप की संशोधित दरें 01.01.2023 से लागू हैं।

3. इसके अलावा, एनएफपीडब्ल्यूडी [12.5 (5)] के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) 9%, 18% और 27% की दर से उन छात्रों को देय होगा जिन्हें छात्रावास प्रदान नहीं किया गया है। मकान किराया भत्ते की गणना के लिए प्रतिशत, जहां भी लागू हो, फेलोशिप राशि पर आधारित होगा।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफपीडब्ल्यूडी) योजना के तहत फेलोशिप और एचआरए की दरों को 01.01.2023 से संशोधित करने का अनुरोध किया जाता है।

संदीप कुमार

Digitally signed by SANDEEPKUMAR
Date: 2023.10.27 17:12:12 +05'30'

संदीप कुमार

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
2. सभी संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान।
3. एनएफपीडब्ल्यूडी योजना के सभी लाभार्थी (डीईपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट और केनरा बैंक एसएफएमपी पोर्टल के माध्यम से)।